न्यायालयः–अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–06 मथुरा
उपस्थितः–श्रीमती नीलम ढाका (उच्चतर न्यायिक सेवा)
प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–25/2020
UPMT010075522020

1. मूलचन्द पाराशर पुत्र स्व० रमेशचन्द, उम्र करीब 52 वर्ष, हाल निवासी पुरानी छावनी मकान नं० 1046, सदर बाजार, मथुरा।
2. चन्द्रभान पुत्र स्व० रमेशचन्द, उम्र करीब 50 वर्ष
3. विष्णु पुत्र स्व० रमेशचन्द, उम्र करीब 47 वर्ष

निवासीगण–कस्बा महावन, तहसील महावन, जिला मथुरा।

——————**अपीलार्थीगण/वादीगण**

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र स्व० रमेशचन्द, उम्र करीब 45 वर्ष
2. श्रीमती उर्मिला पत्नी लक्ष्मण, उम्र करीब 42 वर्ष
3. गोविन्द पाराशर पुत्र लक्ष्मण, उम्र करीब 20 वर्ष
4. श्रीमती ललिता देवी पत्नी स्व० रमेशचन्द, उम्र करीब 85 वर्ष

निवासीगण–कस्बा महावन, बन्दी दरवाजा, तहसील महावन, जिला मथुरा।

——————**रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादीगण**

निर्णय

अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह प्रकीर्ण सिविल अपील मूलवाद संख्या –143/2020 मूलचन्द पाराशर आदि बनाम लक्ष्मण आदि में विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), मथुरा द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6 ग पर पारित आदेश दिनांकित–19.09.2020 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण के प्रार्थनापत्र 6 ग को निरस्त किया गया है।

2. अपीलार्थीगण/वादीगण का अपील में संक्षिप्त कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर दाखिल साक्ष्य एवं तथ्यों के विरुद्ध आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट के वाद का बेसिस ऑफ सूट मुख्य रूप से एक संयुक्त हिन्दू परिवार में उठे विवाद एवं मतभेद की समस्या है, जिसको संयुक्त परिवार के सदस्य अथवा समाज के व्यक्ति सुलझा सकते हैं, किन्तु ऐसा नहीं होने पर पीड़ित पक्ष न्यायालय की शरण में जाता है। न्यायालय द्वारा एक संयुक्त हिन्दू परिवार की समस्या को विवेक के साथ परिवार के दूरगामी भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए था। अपीलाण्ट के वाद से यह स्पष्ट है कि मुकदमा माँ और बेटों के मध्य है। दोनों पक्षों के हित प्रश्नगत आराजी भूमिधरी में निहित हैं यानि कि प्रश्नगत सम्पत्ति अपीलाण्ट व रैस्पोण्डेन्ट के परिवार के जीवनयापन का साधन है जो परिवार में उठे मतभेद के कारण है, तो ऐसी सूरत में न्यायालय का उत्तरदायित्व है कि हिन्दू संयुक्त परिवार टूटने से बच सके, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा बिना विचारण किए निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा हिन्दू विधि के प्राविधानों का घोर उल्लंघन किया है। हिन्दू विधि में प्रत्येक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य की सन्तुलित व्यवस्था है। हिन्दू विधि का निर्माण

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.04.27 15:58:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भारतीय समाज की परम्परा एवं सनातन धर्म का गौर करते हुए विद्वानों द्वारा निर्मित कानूनी है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया। हिन्दू विधि का सारांश यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता परिवार के लाभ के लिए ही किसी सम्पत्ति को परिवार के समस्त सदस्यों की सहमति से ही डिस्पोज़ ऑफ कर सकता है। विचारण न्यायालय ने यह भी गौर नहीं किया है कि मुख्य प्रतिवादी सं० 4 का न तो शपथपत्र है और न ही न्यायालय में उपस्थित हुयी है, इससे स्पष्ट है कि रैस्पोण्डेन्ट /प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 ही फर्जी कार्यवाही को अन्जाम दे रहे हैं। जबकि वाद में मुख्य विवाद रैस्पोण्डेन्ट सं० 4 की सम्पत्ति का है, जो कि रैस्पोण्डेन्ट सं० 1 लगायत 3 के नापाक प्रभाव में बिना सोचे समझे पैत्रिक सम्पत्ति को नष्ट कर, समस्त परिवार के भविष्य को अन्धकार में डालने पर उतारू हैं। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश हिन्दू विधि के सुसंगत एवं सन्तुलित प्राविधानों के विपरीत पारित किया है। प्रश्नगत सम्पत्ति जोकि रैस्पोण्डेन्ट /प्रतिवादी सं० 4 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है , को रैस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी सं० 4 के पति अर्थात अपीलाण्ट के पिता द्वारा अर्जित धन से खरीदी गयी, ताकि अन्तिम समय तक रैस्पोण्डेन्ट सं० 4 को किसी प्रकार की कमी जीवनयापन अथवा भरणपोषण के सम्बन्ध में न हो सके। अतः उक्त कथानों के आधार पर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा अपील स्वीकार किये जाने एवं प्रार्थनापत्र 6 ग पर पारित आदेश दिनांक–19.09.2020 को निरस्त करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की है।

3. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अपील की पत्रावली में अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से सूची 7 ग से कागज सं०–8 ग/2 ता 3 प्रश्नगत आदेश दिनांकित–19.09.2020, फार्मल आर्डर कागज सं० 9 ग/2 , एककिता शपथपत्र मिथलेश देवी कागज सं० 10 ग/1 ता 2 व एककिता शपथपत्र कमलेश देवी कागज सं० 11 ग/1 ता 2 की प्रमाणित प्रतिलिपियां दाखिल की गयी है।

4. प्रकीर्ण सिविल अपील अंगीकृत एवं पंजीकृत की गयी। प्रत्यर्थी /विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विचारण न्यायालय की पत्रावली अवलोकनार्थ आहूत की गयी, जो प्राप्त हुयी।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को पूर्व तिथि पर सुना गया तथा प्रत्यर्थी/ प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित–19.09.2020 एवं प्रकीर्ण सिविल अपील के निस्तारण के प्रयोजन से न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), मथुरा से तलबशुदा मूल पत्रावली को आहुत किया गया, जिसका सम्यक रूप से परिशीलन किया।

6. अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मूलवाद संख्या–143/2020 मूलचन्द पाराशर आदि बनाम लक्ष्मण आदि, रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है। उक्त मूलवाद में अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से 6 ग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दौरान वाद विवादित सम्पत्ति के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की याचना की गयी थी , जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के पश्चात प्रार्थनापत्र 6 ग को निरस्त किया गया है।

7. प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील में मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि के सापेक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के अनुरूप है या नहीं।

उपरोक्त तर्कों के संबंध में न्यायिक नजीर का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत

होता हैः– विधि व्यवस्था **Smt. Satyabiri Vs. Sri Mahabeer Singh & Ors. [2008 (2) JCLR 419 (All)]** को संदर्भित किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय की विधि व्यवस्था दी गयी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के सिद्धांत को देखा जाना होता है और जहां तक उक्त सिद्धांत में दी गयी शर्तें पूर्ण नहीं होती हैं, उस दशा में अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं जारी की जा सकती।

8. अस्थायी व्यादेश प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना होता है–

1– प्रथम दृष्टया केस

2– सुविधा का संतुलन

3– अपूर्णनीय क्षति

9. जहां तक अपीलार्थी/वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस होने का प्रश्न है, उक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण/वादीगण का कथन है कि प्रश्नगत आराजी जिसका सम्पूर्ण विवरण वादपत्र के अंत पर दर्ज है के मालिक, काबिज व दखील वादीगण के पिता स्व० रमेश चन्द्र थे। वादीगण के माता पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 08.10.2015 को अपने चारों पुत्रों का आपसी बंटवारा इस प्रकार कर दिया कि खसरा संख्या 255 में 1/2, 1/2 वादी सं० 1 व 3 के हिस्से में आया तथा खसरा सं०– 284 वादी सं०–2 के हिस्से में आया तथा खसरा सं० 256 प्रतिवादी सं०– 1 के हिस्से में आया तथा चारों पुत्रों के लिये कृषि कार्य हेतु चार बोरिंग भी लगवा दी गयीं। यह भी कथन किया है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य आराजी खाता सं० 104 खसरा सं० 267/3 माधोपुर खादर मथुरा में है, में, प्रत्येक 1/5 भाग दिया गया। वादीगण के पिता द्वारा दी गयी आपसी व्यवस्था के तहत फरीकैन अपने–अपने हिस्से को जोतते बोते तथा उससे मुस्तफीद होते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण वादीगण/अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नं० 255 तथा 284 को चुपचाप बेचने के प्रयास में है। प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा फर्जी कागजों के आधार पर प्रतिवादी सं०– 1, 2 व 3 अनुचित लाभ के उद्देश्य से वादीगण/अपीलार्थीगण के हिस्से की आराजी पर तथा कथित दस्तावेजों के आधार पर अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक आई०ओ०बी शाखा महावन से मु० 4,97,000/– रूपये कर्ज लेकर दोनों खातों को बंधक कर दिया। वादीगण/अपीलार्थीगण के उपरोक्त खसरा नम्बर 284 व 255 पर गेहूं की फसल हो रही है, जोकि वादीगण द्वारा की जा रही है। प्रतिवादीगण /प्रत्यर्थीगण द्वारा वादीगण/अपीलार्थीगण की आराजी से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण को दौरान वाद उनके नापाक इरादे से वर्जित नहीं किया गया तो वादीगण की अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई करना किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः बजरिये अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण को निषेधित किया जाये जाने की याचना की गयी है।

10. उपरोक्त के संबंध में प्रतिवादीगण /प्रत्यर्थीगण की ओर से तर्क दिया गय है कि वादीगण का कोई हक व अधिकार कानूनन व इंसाफन उत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध वाद व दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करने का नहीं है और वादीगण का कोई प्राइमाफेसाई केस भी साबित नहीं है, और सुविधा की तुला भी वादीगण के पक्ष में झुका न होकर उत्तरदाता/प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण के पक्ष में है और प्रार्थनापत्र अस्थायी के खारिज होने से वादीगण/अपीलार्थीगण की कोई हानि नहीं है, अपितु निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण/ प्रत्यर्थीगण खास तौर पर प्रतिवादीगण सं०– 4 की हानि एवं अपूरणीय क्षति है, जिसकी

भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। अतः प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से सूची 09ग से एक किता प्रमाणित प्रतिलिपि उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1425–1430 कागज सं०– 10ग, फोटो प्रपत्र कागज सं०– 11ग/1 लगायत 5, सूची 23ग से एक किता उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1422–1427 कागज सं०– 24ग, एक किता उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1425–1430 कागज सं०– 25ग, एक किता खसरा कागज सं०– 26ग, एक किता खसरा कागज सं०– 27ग दाखिल किये गये है।

12. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात, दिनांकित–19.09.2020 को आदेश पारित करते हुए, उल्लेखित किया है कि वादीगणी/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है तथा वादपत्र के अंत में वर्णित प्रश्नगत आराजी के मालिक काबिज व दखील उनके पिता स्व० रमेश चन्द्र को होना बताया है और उन्होंने अपने जीवनकाल में दिनांक 08.10.2015 को अपने चारों पुत्रों का आपसी बंटवारा इस प्रकार कर दिया कि खसरा सं०– 255 में 1/2–1/2 भाग वादी सं०– 1 व 3 के हिस्से में आया तथा खसरा सं०– 284 वादी सं०–2 के हिस्से में आया तथा खसरा सं० 256 प्रतिवादी सं०–1 के हिस्से में आया। यह भी उल्लेखित किया है कि एक अन्य आराजी खाता सं० 105 खसरा सं० 267/3 माधोपुर खादर मथुरा में है, जिसमें प्रत्येक को 1/5 भाग दिया गया।

13. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह पाया कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा ऐसी कोई खतौनी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसमें प्रश्नगत खसरा संख्याओं की बावत उनके पिता के नाम की प्रविष्टि हो और वादीगण की आर से प्रदर्श बी के रूप में कागज सं० 5ग/3 ता 4 की सहमति बंटवारा की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसे अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा वादपत्र के अंत में वर्णित प्रश्नगत सम्पत्ति के खसरा संख्याओं की बावत कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि किस–किस खसरा संख्या की आराजी का पक्षकारों के मध्य बंटवारा हुआ है। वादीगण की ओर से प्रदर्श–ए के रूप में उद्धरण खतौनी कागज सं० 5ग/2 खसरा स०– 284 की बावत दाखिल की गयी है, जिसमें संक्रमणीय भूमिधर के रूप में श्रीमती ललिता देवी के नाम की प्रविष्टि है। वादीगण की ओर से सूची 9ग से उद्धरण खतौनी कागज सं०–10ग /1 ता 2 खसरा सं०–255 व खसरा सं०–267/3 की बावत दाखिल की गयी है तथा सूची २३ग से उद्धरण खतौनी कागज सं० –24ग खसरा सं० –284 की बावत व खसरा सं०– 25 खसरा सं०– 255 की बावत एवं खसरा कागज सं०– 26ग व 27ग दाखिल किया गया है, जिनमें श्रीमती ललिता देवी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, जिसके आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि प्रश्नगत मामले में वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता हो। निष्कर्षतः वादी अपना प्रथम दृष्ट्या वाद सावित करने में असफल रहा है, जिस कारण सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु पर कोई निष्कर्ष दिये जाने का विधिक औचित्य न पाते हुए, प्रार्थनापत्र 6ग खारिज किया गया है, जो कि विधिसम्मत है।

14. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादीगण /अपीलार्थीगण का समस्त वाद उनके पिता द्वारा किए गए कथित 'आपसी बंटवारे' दिनांक 08.10.2015 पर आधारित है, किंतु, वादीगण द्वारा उक्त बंटवारे के समर्थन में कोई भी राजस्व अभिलेख (खतौनी) या पंजीकृत दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित भूमि का विधिक रूप से विभाजन हो चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी के उद्धरणों से यह प्रमाणित है कि प्रश्नगत भूमि पर श्रीमती ललिता देवी का नाम 'संक्रमणीय भूमिधर' के रूप में अंकित है। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु 'प्रथम दृष्टया मामला', 'सुविधा का संतुलन' तथा 'अपूरणीय क्षति' के तीनों मापदंडों का सिद्ध होना अनिवार्य है। चूँकि वादीगण/अपीलार्थीगण विधिक साक्ष्यों के माध्यम से अपना अनन्य अधिपत्य प्रथम दृष्टया साबित करने में विफल रहे हैं, अतः उनके पक्ष में निषेधाज्ञा जारी करने का कोई विधिक आधार विद्यमान नहीं है।

15. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से यह पाया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.09.2020 में साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। इस निष्कर्ष में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकीर्ण सिविल अपील में कोई बल नहीं पाया जाता है। तदनुसार यह प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या 25/2020 मूलचन्द आदि बनाम लक्ष्मण आदि निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.09.2020 की पुष्टि की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील में किये गये निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजी जाय।

दिनांकः–27.04.2026

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–06 मथुरा।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः– 27.04.2026

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–06 मथुरा।
ID No– UP 2653